संख्या-7/2020 /336/53-2-2020

प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, अलीग□, सहारनपुर एवं पीलीभीत।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 23 मार्च, 2020

विषयः आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जनपदों में तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की आबाध आपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन (पी0सी0डी0एफ0 लि0) के पत्र संख्या 2524 डी-2/एमएसडी/सीपी/ए/कोविड-19/2020 दिनांक 23.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सहकारी दुग्ध संघों के इकाई प्रभारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए, उक्त की प्रति आपको भी जिला प्रशासन स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान कराने हेतु पृष्ठांकित की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि देश "कोरोना वायरस" (COVID-19) के दुष्प्रभाव को रोकने हेतु सजग प्रयास कर रहा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश वासियों की सुरक्षा के लिये चिकित्सा अनुभाग उ0प्र0 शासन के कार्यालय आदेश सं0 679/पॉच-5-2020, दिनांक 22.03.2020 द्वारा उ0प्र0 के 16 जनपदों (लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, अलीग□, सहारनपुर एवं पीलीभीत) में दिनांक, 23 से 25 मार्च, 2020 तक पूर्ण रुप से लाक-डाऊन करने का निर्णय लिया गया है। लाक-डाऊन की अवधि में इन जनपदों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति बनाये रखना आवश्यक है। जनपद स्तर पर दुग्ध व्यवसाय के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओ की इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. अतः उपर्युक्त दोनों प्रकार की संस्थाओं द्वारा जनपद में तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति यथावत् बनाये रखने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों से दुग्ध उपार्जन, परिवहन, प्रसंस्करण एवं नगरीय तरल दुग्ध विक्रय हेतु दुग्ध वाहनों के निर्बाध आवागमन, कार्यरत कार्मिकों को कार्य स्थान पर जाने की अनुमति, दुग्ध ऐजेन्टों को दुग्ध विक्रय हेतु अनुमति आदि के लिये जिला प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता होगी, ताकि स्थानीय उपभोक्ताओं तक दुग्ध की

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपलब्धता सहज रुप सुनिश्चित की जा सके। जनपद में दुग्ध वितरण की सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु दुग्ध संघ प्रभारी/ दुग्ध संयन्त्र प्रभारी नोडल अधिकारी होंगे तथा जनपद में प्राईवेट वेन्डर द्वारा वितरित किए जाने वाले तरल दुग्ध, दुग्ध उत्पाद का वितरण कार्य इनकी देख-रेख में ही किया जाए, जिससे अनावश्यक रूप से अव्यवस्था उत्पन्न न होने पाये।

4. अतएव उपर्युक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी दुग्ध संघ के इकाई प्रभारियों तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा सम्पर्क किये जाने पर कृपया उन्हें वाछिंत सहयोग प्रदान करते हुए आच्छादित जनपदों में जनहित में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने का कष्ट कष्ट करें ।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या-7/2020/336(1)/53-2-2020, व तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0।
(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) निजी सचिव, मा0 दुग्ध विकास मंत्री जी, उ0प्र0।
(5) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0।
(6) प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0 लि0, 29 पार्क रोड लखनऊ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(8) पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर/समस्त सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
(9) निदेशक जन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
(10) सर्व सम्बन्धित द्वारा पी0सी0डी0एफ0।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।